कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फिरोजाबाद।

पत्रांकः— मुचिअ/एनटीसीपी/2019—20/ 7821 दिनांक 20.03.2020

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
   जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद/संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका
   जिला महिला चिकित्सालय फिरोजाबाद।
3. अधीक्षक
   सामु0 स्वा0 केन्द्र टूण्डला, जसराना, सिरसागंज, जाटऊ, दीदामई, खैरगढ।
4. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
   प्रा0 स्वा0 केन्द्र उसायनी, कोटला, एका, अरांव, मदनपुर, धनपुरा।
5. विभागाध्यक्ष
   समस्त विभाग जनपद फिरोजाबाद।

विषयः— प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव हेतु समस्त सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में पान—मसाला एवं तम्बाकू उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांकः— राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019—20/8365 लखनऊ दिनांक 18.03.2020 के क्रम में अवगत कराना मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश—786/तीन—18—06(9)18 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबंधित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

उक्त के क्रम में जैसा कि आप अवगत हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस विश्व व्यापी महामारी को गंभीरता से लेते हुये इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा—निर्देश एवं हेल्पलाइन नम्बर— 18001805145 जारी किया गया है।

आपके संज्ञान में लाना है कि GATS सर्वे—2016—17 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में धूम्रपान करने का प्रतिशत 13 प्रतिशत है, जो कि GATS सर्वे—2009—10 की रिपोर्ट की तुलना में घटा है, जबकि धूम्रपान रहित तम्बाकू का सेवन करने वालों का 29.4 प्रतिशत है, जो कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में प्रतिशत बढा है।

चूंकि प्रदेश में लगभग 29.4 प्रतिशत लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का विभिन्न रूप से सेवन करते है, जो कि वर्तमान में तम्बाकू पान मसाला का सेवन कर इधर—उधर थूकने से कोरोना वायरस (COVID-19) के फैलने में सहायक हो सकता है एवं प्रधानमंत्री महादेय द्वारा बहुउद्देशीय स्वच्छत भारत मिशन व अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु भी तम्बाकू व पान मसाला का सेवन बडी बाधा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्थिति को देखते हुये तत्काल सी0ओटी0पी0ए0—2003 के नियमों/उपनियमों एवं सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू एवं पान मसाला खाकर यत्र—तत्र थूकने पर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चत करें।

संलग्नक— यथोपरि।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फिरोजाबाद।

पत्रांकः— मुचिअ/एनटीसीपी/2019—20/ दिनांक 20.03.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित—

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. उप महाप्रबन्धक एन0सी0डी0 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आगरा मण्डला आगरा।
5. जिलाधिकारी फिरोजाबाद।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद।
7. मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फिरोजाबाद।